तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुआ
29.6.20	आज पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर धारा 212 रा.टि.ए. का प्रार्थना पत्र को इस स्टेज पर नहीं चलाकर मामले की परिस्थितियों मे बदलाव आ जाने से नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति चाही जाने से तलब की गई। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मूल वाद पत्र आराजियात के विभाजन बाबत है। वादग्रस्त आराजियात मे विभाजन मिटस् एण्ड बाउण्डस् के आधार पर चाहा गया है मूल वाद पत्र मे प्रतिवादी अब्दुल सत्तार एंव लियाकत खां ने अपना इकबाली जवाबदावा पेश करने के बावजूद भी इन दोनो प्रतिवादियो ने वाद पत्र के विचाराधिन रहते अन्य व्यक्तियो को बेच देने से क्रेताओ द्वारा अविभाजित आराजियात के अपने अंश की भूमि पर बिना अंश का विभाजन कराये कब्जा करने पर आमादा है इसलिए क्रेताओ के विरुद्व पक्षकार बनाया जाना है इस कारण परिस्थितियां भिन्न हो जाने से इस पत्रावली के प्रार्थना पत्र को इस प्रक्रम पर नवीन प्रार्थना पत्र 212 रा.टि.ए. का पेश करने की अनुमति के साथ पत्रावली को खारीज कराना चाहते है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। मूल वाद पत्र मे दिनांक 24.6.17 को मामला निर्णित होकर प्रारम्भिक डिक्री हेतु तहरीर लिखी जाने तक पत्रावली निर्धारित की गई। चूंकि मूलवाद पत्र निर्णित हो गया तो विविध वादपत्र को आगे चलाये रखना उचित नहीं है। मूल वाद पत्र की डिक्री के विरूद्व अपील होकर अपीलीय न्यायालय से पत्रावली रिमाण्ड होने से यह पत्रावली पुन: दर्ज रजिस्टर की गई है इस कारण प्रार्थी अधिवक्ता को विविध वादपत्र के पत्रावली विचाराधिन रहने का ज्ञान नहीं था। अब आज पता चला है। इसलिए इस पत्रावली को खारीज करा नवीन प्रार्थना पत्र पेश	

...अधिकारी
...भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.21 12:07:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
करने की अनुमति चाही गई है,	
प्रार्थी को सुना गया। प्रकरण आगे चलाये रखने मे प्रार्थी उदासीन हो तो वह अपने मामले खारीज कराने का मुकदमा उठाने को स्वतन्त्र है। परन्तु जो परिस्थितियां अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रकट की है उस आधार पर प्रार्थी का यह प्रकरण इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। यदि प्रार्थी धारा 212 रा. टि. ए. के तहत प्रस्तुत करना चाहे तो वह स्वतंत्र है।	
अत: पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।	
उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.21 12:07:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner